

प्रारूप — 18

परियोजना का नाम — निचली बौराड़ हरिजन बस्ती पेयजल योजना

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोजन एजेंसी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ह0/-
प्रयोक्ता एजेंसी

अधिशारी अभियन्ता
निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम
नया चकराता (पुरोड़ी)

सीतम सिंह
वन अधिकारी
देवदार राजि ल्यूनी
चकराता वन प्रभाग

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी
वन संरक्षण शाखा
देवदार राजि ल्यूनी
चकराता वन प्रभाग

विनोद भण्डारी
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र
तहसील
हनाल
चुनी

ह0/-
तहसीलदार
ल्यूनी

15/11/2019
उप जिलाधिकारी
वालसी

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
वालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता